राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12404/2022

पन्ना लाल मीना पुत्र उदयराम मीना, आयु लगभग 24 वर्ष, गांव उकला, पोस्ट नागदी, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय, राजस्थान के माध्यम से।

2. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री तंवर सिंह।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री दीपक चांडक।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>22/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक 7) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाएं कथित रूप से उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को छिपाने के कारण समाप्त कर दी गई थीं।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और सफल रहा। वह जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 30.05.2022 के कार्यालय आदेश के बाद सेवा में शामिल हुआ।

2.1 शामिल होने के बाद, विभाग को उसके पुलिस हिरासत में होने की जानकारी मिली और उसके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा भी लंबित था। अंततः, दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक 7) के आदेश के तहत उपरोक्त आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसलिए यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में लिया गया बचाव यह है कि ऑनलाइन आवेदन में, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उसके खिलाफ पहले एक आपराधिक मुकदमा लंबित था। इस प्रकार उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 25.04.2022 (अनुलग्नक आर/1) के हलफनामे के माध्यम से एक झूठा वचन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। इस तरह के छिपाने के कारण, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है। याचिका केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, याचिकाकर्ता के इस दावे के गुण-दोष के बावजूद कि उन्हें बाद में लंबित आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया था, जो देखा जाना चाहिए, वह है, सबसे पहले न केवल तत्कालीन लंबित आपराधिक कार्यवाही को छिपाने

का उनका जानबूझकर किया गया कार्य, बल्कि, दूसरा दिनांक 25.04.2022 (अनुलग्नक आर/1) के हलफनामे के माध्यम से एक झूठा वचन देना। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। हलफनामे पर झूठा बयान देना इतनी लापरवाही से स्वीकार नहीं किया जा सकता जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी पर विश्वास खो देता है और उसे ऐसे उम्मीदवार को रोजगार में न चुनने का अधिकार है।

6. केवल इन दो आधारों पर, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी छूट का हकदार नहीं है।

7. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि अन्यथा भी याचिकाकर्ता का मामला विनोद कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5470/2018, 24.04.2023 को तय और अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1603/2011 में दिए गए निर्णयों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिन पर बहस के दौरान प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से भरोसा किया गया है।

8. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।